eo-508109/2018/CP

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029
भर्ती सूचना सं. 1-6/2015 स्था.-(भर्ती)

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में निम्नलिखित समूह 'ख' के पद भरने हेतु ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित हैं:-

क्र.सं.	पद का नाम, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा अनिवार्य पात्रता मानदण्ड	समूह	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	रिक्त पदों की संख्या* तथा आरक्षण	चयन की प्रक्रिया
1.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, पे-मैट्रिक्स में लेवल 06 (पूर्व-संशोधित वेतन बैण्ड-2, ₹9300-34800, ग्रेड वेतन ₹ 4200/-) **सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यता:** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी / अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एवं हिंदी मुख्य/वैकल्पिक विषय हों। **तथा** हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट कोर्स अथवा केंद्र/राज्य सरकार के कार्यालयों सहित भारत सरकार के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।	ख	30 वर्ष तक (एम्स के कर्मचारियों हेतु 40 वर्ष तक छूट)	03 (अनारक्षित-1, अनुसूचित जाति-01 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग-01	केवल लिखित परीक्षा

** पदों की संख्या अनंतिम है तथा संस्थान की आवश्यकताओं के आधार पर इनमें परिवर्तन हो सकता है।*

<u>सामान्य शर्तें</u>

1. इस पद में दिल्ली/नई दिल्ली में तैनात समान स्तर के केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को स्वीकार्य सामान भत्ते निहित हैं।
2. इन पदों हेतु सभी पात्रता मानदण्ड को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। आवेदनों का **ऑनलाइन** पंजीकरण एम्स की वेबसाइट www.aiimsexams.org पर दिनांक **14.11.2018 से 13.12.2018, सायं 5 बजे** तक उपलब्ध होगा। ऑनलाइन आवेदन की पंजीकरण पर्ची सहित कोई भी दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है, **तथापि, सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रिकॉर्ड हेतु भुगतान के प्रमाण सहित पंजीकरण पर्ची की एक प्रतिलिपि अपने पास रखें।**

3. इस विज्ञापन की प्रतिक्रिया में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि पद हेतु आवेदन की पात्रता को आप पूरा कर रहे हैं। उम्मीदवार द्वारा पात्रता के सभी मानदण्ड आवेदन की अंतिम तारीख तक पूर्ण होने चाहिए, ऐसा न होने पर उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।

4. ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक **13/12/2018 को सायं 5 बजे** तक बंद हो जाएगा। जो आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय तक ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण नहीं करेंगे, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा।

5. **उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन प्रणाली में आवेदन भरते समय प्रीव्यू में उनकी फोटो, हस्ताक्षर तथा अंगूठे का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे।** यदि वेबसाइट पर प्रीव्यू में फोटो/हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान छोटा दिखाई दे अथवा नहीं दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि फोटो/हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान एम्स के निर्धारित प्रपत्र के अनुसार नहीं है तथा ऐसे मामले में, आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अत: अपनी फोटो, हस्ताक्षर तथा अंगूठे का निशान अपलोड करते समय सतर्क रहें। यह पंजीकरण पर्ची पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।

6. **आवेदन शुल्क:**
   1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार - 500/- (पांच सौ रूपये मात्र)
      अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार - 100/- (एक सौ रूपये मात्र)
   2) उम्मीदवार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन/प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान, यदि कोई है, जैसा लागू हो, उम्मीदवार द्वारा बैंक को किया जाएगा।
   3) **एक बार आवेदन शुल्क का भुगतान होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।**
   4) निर्धारित शुल्क रहित आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

7. **आयु में छूट:**
   1) ऊपरी आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
   2) अनारक्षित रिक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।*
   3) विभिनन श्रेणियों को आयु में अनुमेय छूट निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	श्रेणी	आयु में ऊपरी आयु सीमा से अधिक अनुमेय छूट
1.	अनुसूचित जाति	5 वर्ष
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 वर्ष
3.	**भूतपूर्व-सैनिक तथा ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन अधिकारी - समूह 'क' एवं 'ख' पदों हेतु**	क) पांच वर्ष, इस शर्त पर कि आवेदन की प्राप्ति हेतु अंतिम तारीख पर भूतपूर्व-सैनिक द्वारा सशस्त्र बलों में प्रदान की गई निरंतर सेवा अनुप्रमाणन के पश्चात छ: माह से कम नहीं होनी चाहिए। यह छूट ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. को भी उपलब्ध है जिन्होंने सैन्य-सेवा के पांच वर्षों के असाइनमेंट की अपनी प्रारंभिक अवधि को पूरा कर लिया है तथा जिनका असाइनमेंट अंतिम तारीख को पांच वर्ष से अधिक बढ़ा दिया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है

		कि उनका चयन होने पर नियुक्ति के प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से 3 माह के अंतर्गत उन्हें कार्यभार मुक्त कर दिया जाएगा। इस पैरा के तहत आयु में छूट मांगने वाले उम्मीदवारों को आयोग के पास निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। **नोट:** भूतपूर्व-सैनिक जिन्होंने पहले से ही सिविल पद में केंद्रीय सरकार के अधीन नियमित रोजगार सुरक्षित किया हुआ है, उन्हें केंद्रीय सरकार के अधीन किसी उच्च पद अथवा सेवा में अन्य रोजगार सुरक्षित करने के लिए पूर्व-सैनिक हेतु स्वीकृति अनुसार आयु में छूट का लाभ लेने की अनुमति दी जाती है। तथापि, ऐसे उम्मीदवार आरक्षण के लाभ हेतु योग्य नहीं होंगे, यदि केंद्रीय सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व-सैनिक हेतु कोई आरक्षण है। ख) **उपर्युक्त (क) के तहत छूट प्राप्त करने की योग्यता के क्रम में,** संबद्ध उम्मीदवारों को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि उन्हें रक्षा बलों से कार्यभार-मुक्त कर दिया गया है। भूतपूर्व-सैनिक तथा ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन अधिकारियों हेतु प्रमाण-पत्र में नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त प्राधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिएं तथा रक्षा बलों में सेवा की अवधि का भी उल्लेख होना चाहिए:- **(i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन अधिकारियों के मामले में:** **सेना:** कार्मिक सेवाएं निदेशालय, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। **नौसेना:** कार्मिक सेवाएं निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली। **वायुसेना:** कार्मिक सेवाएं निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। **(ii) जे.सी.ओ./ओ.आर.एस. तथा नौसेना एवं वायुसेना के समकक्ष के मामले में:** **सेना:** विभिन्न रेजीमेंट रिकॉर्ड कार्यालयों द्वारा। **नौसेना:** नौसेना रिकॉर्ड, मुम्बई। **वायुसेना:** वायुसेना रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
4.	**केंदीय सरकार के सिविल कर्मचारी - समूह 'क' एवं 'ख' पद हेतु**	
	1) केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य/अनारक्षित) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित एवं निरंतर सेवा प्रदान की है।	5 वर्ष

	2) केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी (अन्य पिछड़ा वर्ग) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित एवं निरंतर सेवा प्रदान की है।	8(5+3) वर्ष
	3) केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी (अनुसूचित जाति) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित एवं निरंतर सेवा प्रदान की है।	10(5+5) वर्ष

*यदि आरक्षित वर्ग के किसी उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट दी गई है और वह अनारक्षित पद के लिए निर्धारित योग्यता हेतु भी पात्र हैं तो ऐसे उम्मीदवारों को अनारक्षित नहीं माना जाएगा बल्कि संबंधित आरक्षित वर्ग के पद हेतु ही पात्र समझा जाएगा।

नोट-I: **भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने पहले से ही अपने पुन: रोजगार के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ उठाकर स्थायी आधार पर केंद्र सरकार के अंदर सिविल क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित वर्ग के तहत आरक्षण के रूप में आयु में रियायत प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। तथापि वे नियमानुसार आयु में छूट के पात्र हैं।**

नोट-II: **नियमों के अनुसार आयु में रियायत हेतु सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक के "कॉल-अप सर्विस" अर्थात आहवान पर सेवा की अवधि को भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा माना जाएगा।**

नोट-III: आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक के रूप में समझे जाने हेतु संघ के तीनों सशस्त्र सेना के किसी भी कर्मचारी के लिए आवश्यक है कि वे संगत समय पर पद/सेवा हेतु भूतपूर्व सैनिक लिख कर अपना आवेदन पत्र जमा कराएं तथा जो सक्षम प्राधिकारी से अपने इस अर्जित पात्रता संबंधी दस्तावेज/सबूत प्रस्तुत करने की स्थिति में हो कि वह आवेदन भरने की अंतिम तारीख से पूर्व एक वर्ष की निश्चित अवधि के भीतर ही सशस्त्र सेना से अपनी सेवा अवधि को पूरा कर लेंगे अथवा उन्हें उस समय तक दुराचार या अयोग्यता के कारण कार्यमुक्त या सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण: 'भूतपूर्व सैनिक' से अभिप्रेत वह व्यक्ति है जिसने-

(i) भारतीय संघ की किसी भी रैंक में नियमित थलसेना, नौसेना अथवा वायुसेना में योद्धा अथवा गैर-योद्धा के रूप में सेवा की हो, तथा

(क) वह व्यक्ति जो स्वयं के अनुरोध पर या उनके पेंशन प्राप्ति के बाद नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त करने पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवा मुक्त अथवा डिस्चार्ज हुए हैं; अथवा

(ख) जिनको सेना में काम करते हुए चिकित्सा आधार पर या अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है तथा जिनको मेडिकल अथवा अन्य विकलांगता भत्ता/अपंगता पेंशन दी गई है; अथवा

(ग) स्थापना में की गई कटौती के चलते जिनको ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है; अथवा

(ii) जिनको निर्दिष्ट अवधि के अनुबंध के पूर्ण हो जाने के बाद सेवा से मुक्त कर दिया गया हो अन्यथा अपने द्वारा स्वयं के अनुरोध किए जाने पर या फिर किसी दुराचार या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त या सेवामुक्त किए गए हों तथा जिनको उपदान दिया गया हो; तथा जिसमें प्रादेशिक सेना कर्मी, नामत: अनवरत सम्मिलित सेवाओं अथवा योग्य सेवा का खंडित भाग सम्मिलित है; अथवा

(i) सेना डाक सेवा के कर्मी जो नियमित सेना के अंग के रूप में काम कर रहे हैं या सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ बिना प्रत्यावर्तन के अपने मूल सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, अथवा चिकित्सीय

आधार पर या सैन्य सेवा या नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति के कारण तथा चिकित्सा या अन्य अपंगता/विकलांगता पेंशन के साथ सेवा मुक्त हो गए हों; अथवा

(ii) जो कर्मी सेना डाक सेवा में दिनांक 14 अप्रैल 1988 से पहले छ: महीने से अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा

(iii) प्रादेशिक सशस्त्र सेना सहित किसी भी सशस्त्र सेना से वीरता पुरस्कार पाने वाले; अथवा

(iv) चिकित्सा आधार पर सेवा से बाहर अथवा मुक्त किए गए एक्स-रिक्रयूट्स तथा जिनको चिकित्सा अक्षमता/विकलांगता पेंशन प्राप्त हुई है।

नोट-IV: भूतपूर्व सैनिकों के बेटों, बेटियों एवं आश्रितों को आयु में छूट स्वीकार्य नहीं है।

नोट-V: मैट्रिक पास भूतपूर्व सैनिकों (इसमें वह भूतपूर्व सैनिक भी सम्मिलित हैं जिन्होंने नौसेना अथवा वायु सेना में शिक्षा का भारतीय सेना विशेष प्रमाण-पत्र या उसके अनुरूप प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है), जिन्होंने संघ के सशस्त्र सेनाओं में दिनांक 24.05.2015 तक कम से कम 15 वर्ष तक सेवा की है, वे इस परीक्षा द्वारा विज्ञापित किए गए समूह 'ग' के पदों की नियुक्ति के लिए पात्र हैं। अत: गैर-स्नातक भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि पर 15 वर्षों की सेवा पूरी नहीं की है अथवा नोट-III में दर्शाए गए समय सीमा के भीतर 15 वर्षों के सेवा पूरी नहीं की है, वे इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

8. (i) किसी भी आरक्षित वर्ग जैसे एस.सी./ओ.बी.सी. के तहत आवेदन भरने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ओ.बी.सी. के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण-पत्र जमा करवाना अपेक्षित है, जो कि डी.ओ.पी.टी., भारत सरकार के दिनांक 30.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं.36036/2/2013-स्था.(आरक्षण) के द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रपत्र में भारत सरकार की केंद्रीय सूची के अनुसार एक वर्ष से अधिक के पहले का जारी किया हुआ नहीं होना चाहिए।

(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में दी गई जातियों पर आधारित होगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार क्रीमी लेयर में नहीं होने चाहिए। उनके द्वारा भरी जाने वाली उप-जाति, ओ.बी.सी. की केंद्रीय सूची में अवश्य शामिल होनी चाहिए अन्यथा उन्हें किसी भी आरक्षित वर्ग में नहीं समझा जाएगा तथा उन्हें अनारक्षित माना जाएगा।

9. लिखित परीक्षा

निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी:-

क्र.सं.	लिखित परीक्षा की तारीख	शहर, जहां परीक्षा आयोजित की जाएगी
1.	31.01.2019 (वीरवार)	भारत के प्रमुख शहरों में

10. प्रवेश पत्र

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना प्रवेश-पत्र एम्स की वेबसाइट www.aiimsexams.org से डाउनलोड करें क्योंकि प्रवेश-पत्र डाक द्वारा भेजा नहीं जाएगा।

11. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लिखित परीक्षा के समय एम्स वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को लाएं तथा उपस्थिति दर्ज कराने के समय निरीक्षक को जमा कराएं अन्यथा लिखित परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी/प्रदर्शन पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. सफल उम्मीदवारों के मूल प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की जांच की जाएगी जिसके लिए तारीख परिणाम की घोषणा के बाद अधिसूचित की जाएगी। लिखित परीक्षा के आधार पर अनंतिम रूप से पात्र उम्मीदवारों को आवश्यक तथा वांछनीय योग्यताओं के मूल प्रमाण-पत्र अर्थात (i) ऑनलाइन आवेदन पत्र की डाउनलोड की हुई पंजीकरण पर्ची (ii) डाउनलोड किए हुए प्रवेश-पत्र की एक प्रति (iii) जन्म तिथि दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र (iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र, यदि एस.सी./ओ.बी.सी. वर्ग के तहत आवेदन किया है। (v) यदि सेवारत उम्मीदवार हैं तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र (vi) अनुभव प्रमाण-पत्र, यदि कोई है, के साथ-साथ विधिवत रूप से सत्यापित एक-एक प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करनी होगी।

13. जो उम्मीदवार सेवारत हैं, वे दस्तावेज जांच के समय अपने नियोक्ता से **"अनापत्ति प्रमाण-पत्र"** अवश्य प्रस्तुत करें।

14. **इस विज्ञापन में दी गई सूचना के किसी भी मामले में यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्र केवल दिल्ली न्यायालय होगा।**

15. **आवेदन प्रपत्र भरने हेतु दिशा-निर्देश/अनुदेश:-** (इस संबंध में www.aiims.edu तथा www.aiimsexams.org में उपलब्ध ऑनलाइन सहायता मैनुअल को देखें।)

प्रशासन अधिकारी (भर्ती)

कम्प्यूटर सुविधा

प्राप्त किया / RECEIVED
कम्प्यूटर सुविधा / Computer Facility
02 NOV 2018
समय / Time 11:05 AM
अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली / A.I.I.M.S., New Delhi-29

श्री पवन कुमार आवश्यक कार्यवाही हेतु -

03/11/2018